

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ.-2016/विभिन्न विषय/रिशफल आवंटन/2020 दिनांक 09.10.2020

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा),
समस्त संभाग।

विषय:- वरिष्ठ अध्यापकों के मण्डल रिशफल उपरान्त विभिन्न समस्याओं के समाधान के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वरिष्ठ अध्यापकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु निम्नांकित बिन्दुवार दिशा-निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं :-

क्र.स	वरिष्ठ अध्यापकों के मण्डल रिशफल उपरान्त उत्पन्न विभिन्न समस्याएं	समस्याओं के समाधान हेतु करणीय कार्यवाही
01	जिन वरिष्ठ अध्यापकों का मण्डल रिशफल हुआ है तो उनका नियुक्ति अधिकारी कौनसे मण्डल का संयुक्त निदेशक होगा एवं स्थाईकरण कौन से मण्डल से होगा?	वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में रिशफल मण्डल आवंटन पश्चात जिन कार्मिकों का मण्डल परिवर्तन हुआ है, उन कार्मिकों की वरिष्ठता नवीन मण्डल में संधारित होगी एवं स्थाईकरण भी नवीन मण्डल में संयुक्त निदेशक द्वारा किया जावेगा।
02	जो अभ्यर्थी रिशफल आवंटन के बाद कोर्ट स्टे से पूर्व स्थान पर ही कार्यरत है, उनका स्थाईकरण ऑनलाईन कैसे होगा ?	रिशफल मण्डल आवंटन के संबंध में दायर याचिका संख्या 5753/2020 निर्मला जाट बनाम राजस्थान व अन्य समान प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2020 के अनुसार याचिकार्थियों को नवीन आवंटित मण्डल में ही कार्यग्रहण करना होगा एवं यदि नवीन मण्डल में आवंटित पदस्थापन स्थान में संशोधन चाहते हैं तो इस हेतु निदेशक/संयुक्त निदेशक को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः नवीन मण्डल में कार्यग्रहण करने उपरान्त ही स्थाईकरण का आवेदन किया जा सकता है।
03	कुछ अभ्यर्थियों को रिशफल आवंटन के बाद विद्यालय में पूर्व में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को ऑनलाईन रखने की वजह से उनका स्थाईकरण ऑनलाईन कैसे होगा ?	रिशफल मण्डल आवंटन के पश्चात नवीन आवंटित मण्डल में कार्मिक को प्राथमिकता से ऑनलाईन कार्यग्रहण करवाया जावे एवं पूर्व कार्यरत कार्मिक को यदि माननीय-न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त है तो उसे ऑफलाईन रखा जावे।
04	जिन वरिष्ठ अध्यापकों का मण्डल रिशफल हुआ है, यदि उनमें से कोई कार्मिक पदाधिकार (लियन) के अंतर्गत पूर्व पद पर जाना चाहता है तो इस सम्बन्ध में कौनसे मण्डल से कार्यवाही होगी ?	यदि कोई कार्मिक पदाधिकार (लियन) के अन्तर्गत पूर्व धारित पद पर जाना चाहता है तो इस सम्बन्ध में पदावनत (Revert) की कार्यवाही नवीन आवंटित मण्डल के संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा की जायेगी।
05	जिन वरिष्ठ अध्यापकों ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यग्रहण कर लिया व शाला दर्पण पर ऑनलाईन कार्यग्रहण नहीं हुआ है तो उनका स्थाईकरण कैसे होगा ?	महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपान्तरित विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के मापदण्डानुसार भासन द्वारा स्वीकृत किए गए पदों की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त विद्यालयों में पदों का आवंटन नहीं किया गया है। अतः इस स्थिति में स्थाईकरण हेतु ऑफलाईन प्रस्ताव संबंधित संयुक्त निदेशक को प्रेषित किये जावे।

06	ऑन लाईन आवेदन करने पर किसी के नवीन आवंटित मण्डल का आदेश नंबर दिखा रहा है और किसी के पिछला आवंटित मण्डल इसका उचित समाधान करवाये।	स्थाईकरण आवेदन में आदे 1 क्रमांक व दिनांक भाला दर्पण पर कार्मिक के प्रपत्र-10 में भरे गए विवरण से प्रदति होते हैं। सामान्यतः प्रपत्र-10 में त्रुटि के कारण आदे 1 क्रमांक एवं दिनांक गलत प्रदति होते हैं, जिन्हें विद्यालय स्तर पर प्रपत्र-10 में सुधार कर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके उपरान्त भी समस्या होने पर वििष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाने पर तदनुरूप परीक्षणोपरान्त उचित समाधान करवाया जा सकता है।
07	जब स्थाईकरण का फार्म भरते है तो एक बड़ी समस्या आ रही है कि प्रपत्र 10 में जोइनिंग दिनांक रिशफल मण्डल में जॉइन की आ रही है जबकि पुराने मण्डल में फर्स्ट जोइनिंग आनी चाहिए उचित समाधान करवाये।	स्थाईकरण आवेदन में कार्मिक के नियुक्ति के प्रकार (DR_RPSC/DR_NON_RPSC/ANUKAMPA) के आधार पर कार्यग्रहण तिथि प्रदति होती है। सामान्यतः प्रपत्र-10 में त्रुटि के कारण कार्यग्रहण दिनांक गलत प्रदति होती है, जिसे विद्यालय स्तर पर प्रपत्र-10 में सुधार कर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके उपरान्त भी समस्या होने पर वििष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाने पर तदनुरूप परीक्षणोपरान्त उचित समाधान करवाया जा सकता है।
08	कुछ वरिष्ठ अध्यापक जिन्होंने 2018 प्रथम नियुक्ति जिस मण्डल में की उसके बाद स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर जॉइन कर लिया। रिशफल मण्डल आवंटन में अभ्यर्थी का मण्डल परिवर्तित हो गया, प्रतिनियुक्ति की वजह से मण्डल परिवर्तन के पश्चात हुई काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया था अतः मॉडल स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापकों का स्थाईकरण कैसे होगा ?	वर्तमान में स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को रिशफल मण्डल आवंटन पश्चात नवीन आवंटित मण्डल में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन पश्चात कार्यग्रहण करवाने उपरान्त उक्त कार्मिकों को पुनः प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त कर दिया जावेगा। इसके लिए निदेशालय स्तर से पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे। अतः ऐसे कार्मिकों का स्थाईकरण नवीन आवंटित मण्डल के संयुक्त निदेशक द्वारा ही किया जावेगा।
09	काउंसलिंग से उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापकों की शाला दर्पण पर मैपिंग नहीं होने की वजह से अभी तक ऑनलाईन जोइनिंग नहीं हो पाई है, तो उनका स्थाईकरण कैसे होगा?	काउन्सलिंग से उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त वरिष्ठ अध्यापक संबंधित संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा मैपिंग उपरान्त ऑनलाईन कार्यग्रहण कर सकते हैं। इस बाबत मैपिंग की समस्या होने पर संबंधित संयुक्त निदेशक कार्यालय से सम्पर्क कर मैपिंग संबंधी कार्यवाही करवा कर ऑनलाईन कार्यग्रहण किया जा सकता है।